



F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.,
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1182 का नवीकरण/ Renewal of Type Approval No.1182

विषय/Sub:- हेवी फिल्म इन्सुलेटेड, एरोमैटिक पोलिमाइड लैक्यूरेड राउंड कोप्पर वायर (मेगनेट वायर) /
Heavy Film Insulated, Aromatic Polyimide Lacquered Round Copper Wire (Magnet Wire)

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स सांघवी एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड., नरोल, अहम्मदाबाद - 382 405 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित " हेवी फिल्म इन्सुलेटेड, एरोमैटिक पोलिमाइड लैक्यूरेड राउंड कोप्पर वायर (मेगनेट वायर)" को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1182 दिनांक 17 मार्च 2006 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1182 जारी किया गया था और संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1182/1आर दिनांक 16 फरवरी 2011 द्वारा नवीकरण किया गया था जो कि 31 दिसंबर 2015 तक वैध था।

This is to state that "Heavy Film Insulated, Aromatic Polyimide Lacquered Round Copper Wire (Magnet Wire)", Designed, Developed and Manufactured by M/s Sunghvi Aerospace Private Ltd., Narol, Ahmedabad - 382 405 was issued with Type Approval No. 1182 vide Ref. No. CEMILAC/5070/TA-1182, Dated: 17th March 2006 and was subsequently renewed vide Ref. No. CEMILAC/5070/TA-1182/1R, Dated: 16th February 2011 which was valid upto 31st December 2015.

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 अप्रैल 2016 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा यह 30 जून 2021 तक वैध रहेगा बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (3) महीने पहले ही अनुवर्ति नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (वायुयान), से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबंधित अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेगी।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f 01st April 2016 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30th June 2021 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Aircraft), (3) Three Months before the expiry of Type Approval with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejection, if any, and its cause. All other conditions stipulated in the type approval letter remain unaltered.

सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1182/2R

दिनांक/Date : 19 April 2016

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

Ravi

P. Jayapal

पी जयपाल / P.JAYAPAL
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)